मैनुअल 13

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी (बडासी), थानों रोड, देहरादून का सूचना का मैनुअल

सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है, की स्थिति –

(The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

जिला खनिज न्यास का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत धनराशि निम्न रूप में जमा की जाती है –

<u>न्यास निधि हेतु अंशदान</u>

a. मुख्य खनिजों के मामले में –

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में सदत्त स्वामित्व धनराशि से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्यधीन करना होगा।
2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बधनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा।

b. गौण खनिजों के मामले में :–

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईंट भट्टा समाधान रॉयल्टी 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज न्यास में जमा की जायेगी।